न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/5459/2003/हनुमानगढ

1. रामनिवास
2. रामप्रताप

–पुत्रगण भगवानाराम जाति कुम्हार निवासीगण ढाणी खोखरांवाली तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

.....**अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण**

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र तुलाराम **– मृतक (कायममुकाम)**

1/1. संतोष पत्नि प्रभूदयाल
1/2. पालाराम पुत्र प्रभूदयाल
1/3. सुभाष पुत्र प्रभूदयाल
1/4. राजकुमार पुत्र प्रभूदयाल
1/5. रूकमणी पुत्री प्रभूदयाल
1/6. बाला पुत्री प्रभूदयाल

–समस्त निवासीगण ढाणी खोखरांवाली तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

....**रेस्पोन्डेन्ट्स/वादीगण**

2. मायाराम पुत्र तुलाराम **– मृतक (कायममुकाम)**

2/1. संतोष पुत्री मायाराम –नाम तर्क आदेश दि. 06–03–2019

3. गौरीशंकर पुत्र ओमप्रकाश
4. सत्य नारायण पुत्र ओमप्रकाश
5. गोमती विधवा स्व. ओमप्रकाश

–समस्त निवासीगण ढाणी खोखरांवाली तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

6. राजस्थान राज्य

....**रेस्पोन्डेन्ट्स/प्रतिवादीगण**

खण्ड पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री श्री मनीष पाण्डया, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री दुलीचंद ढिढारिया, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः– 03–03–2021

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील सं. 170/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–11–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर नोहर मुख्यालयउ भादरा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने एक वाद बाबत इस्तकरारक हक, तकसीम खाता मय दादरसी बाबत ग्राम भादरा स्थित विवादित आराजी हाल खसरा संख्या 79 रकबा 27 बीघा भूमि में अपना 1/4 हिस्से के संबंध में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वादी के वाद को खारिज करने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद में अनुतोष सहित 9 विवाद्यक कायम करते हुए प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 14–11–1986 पारित करते हुए वादी के वाद को सिद्ध नहीं होना निर्धारित करते हुए खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 29–12–1997 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अंकन किया तनकी संख्या 7 व 8 का निर्णय निरस्त किया जाता है व तनकी संख्या 2, 3, 4 का निर्णय उक्त बिन्दुओं पर नये सिरे किये जाने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में सहायक जिला कलक्टर नोहर ने प्रकरण को नये सिरे से दर्ज की जाकर विचारण प्रारम्भ किया। उक्त वाद में विचारण उपखण्ड अधिकारी भादरा ने आज्ञा दिनांक 29–11–2002 पारित करते हुए पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी के वाद में प्रश्नगत आराजी में उसका कोई हक व कब्जाकाश्त नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 22–10–2003 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह विवेचित किया कि खसरा संख्या 79 की 27 बीघा में वादी प्रभूदयाल को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामनिवास, रामप्रताप पुत्र भगवानाराम को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 की वारिसान संतोष पुत्री मायाराम को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 गौरीशंकर, सत्यनारायण पुत्र ओमप्रकाश एवं गोमती बेवा ओमप्रकाश को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन कर रेकार्ड में पक्षकारों के नाम उपरोक्त हिस्सेनुसार दर्ज किया जावे। खाता विभाजन हेतु वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार राजस्व भादरा को 500/– रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया गया कि नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2003 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की अपील के संबंध में बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आक्षेपित निर्णय व डिक्री उपलब्ध

विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। उनका कहना है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जो विवाद्यक संख्या 2 लगायत 4 का जो निर्णय पारित किया है वह अभिलेख के विपरीत है। यहीं नहीं मिथ्या आधारों पर किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 2 का निर्णय इस आधार पर कर दिया कि विवाद्यक संख्या 1 के निर्णय में यह निर्धारित हो चुका था कि पुराने खसरा संख्या 232 की 13 बीघा 10 बिस्वा व पुराने खसरा संख्या 243 की 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि पक्षकारों के मृतक पूर्वज तुलाराम पुत्र गणेशा की नोतोड की हुई थी, जबकि वास्तविकता के विपरीत है, इस कारण यह है कि वादी ने भूमि का खसरा मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया तथा न ही यह सिद्ध किया गया पुराने कच्चा 25 बीघा 7 बिस्वा भूमि की पक्के बीघों में 27 बीघा किस प्रकार बना, जबकि नियमानुसार 25 बीघा 7 बिस्वा भूमि के पक्के बीघे लगभग 15 बीघे बनते है। यहीं नहीं मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय का भी गलत अर्थ निकाला गया है। उनका तर्क है कि वादी का यह दायित्व था कि वह सिद्ध रकता कि पुराने खसरा संख्या 232 व 243 की भूमि ही वर्तमान खसरा संख्या 79 की भूमि है जबकि उसकी तुलना में प्रतिवादीगण द्वारा न केवल अपने प्रतिवाद पत्र में अपितु साक्ष्य द्वारा भी यह सिद्ध किया गया कि प्रतिवादी भगवानाराम द्वारा सम्वत 2008 में यह भूमि नोतोड की गई थी। उनका कहना है कि तुला की मृत्यु सम्वत 2000 में होना एक स्वीकृत तथ्य है एवं वर्ष 2006 में भगवानाराम अलग हो गया था व वर्ष 2008 में खोखरावाली ढांणी के दक्षिण की ओर चिपते हुए वादग्रस्त 27 बीघा पुख्तावाल खेत नोतोड किया है। इस प्रकार पुराने खसरा संख्या 232 व 243 की भूमि उसके भाईयों के कब्जे में होने का प्रश्न नहीं उठता है। उक्त स्थिति में प्रतिवादीगण सम्वत 2012 में उक्त भूमि के काश्तकार होने से लगान अदा करने से खातेदार हो गए। इस प्रकार न तो यह भूमि वादी व प्रतिवादीगण को स्वर्गीय तुलाराम से प्राप्त हुई और न ही कभी संयुक्त काश्त की रही। उनका आगे तर्क है कि मामले में न केवल मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं होने से अपितु अन्य भी कई ऐसी साक्ष्य नहीं थी, जिससे यह सिद्ध हो सके कि 25 बीघा 7 बिस्वा कच्ची भूमि के 27 बीघा पक्के बीघे बने हो। इसके अतिरिक्त वादी के साक्ष्य में

साक्षी रामचन्द्र ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काश्त करते थे। यह भी बताया कि आज तक प्रभू, मायाराम व ओमप्रकाश भूमि पर काश्त नहीं की। उक्त स्थिति में प्रश्नगत रकबे से वादी का कोई संबंध नहीं रहा है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 22-10-2003 को अपास्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29-11-2002 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडट्स/वादी ने अपील का विरोध कर आक्षेपित निर्णय को विधि सम्मत होना प्रकट किया है। उनका कहना है कि वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी-1 जमाबंदी सम्वत 2000 व 2004 पेश की है, जिसके अनुसार भूमि वादी के पिता तुलाराम के नाम से दर्ज है। आगे बतायया कि साबिक खसरा संख्या 232 व 243 की भूमि हाल खसरा संख्या 79 कायम किए गए है व वादी व तुलाराम के अन्य तीनों वारिस बहिस्सा बराबर के हकदार है। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत रकबा भगवानाराम द्वारा नोतोड किया जाना प्रमाणित नहीं है । यह भी बताया कि भूमि तुलाराम की नोतोड की हुई होने के कारण भगवानाराम अकेले का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। उनका तर्क है कि बंदोबस्त की कार्यवाही में गलत रूप से भूमि को भगवानाराम के नाम दर्ज कर दिया गया है। उक्त स्थिति में आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखें जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण एवं दोनों

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. उपलब्ध रेकार्ड का विधायिका की मंशा के अनुसार परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श पी–1 व पी–3 पेश किए है, जिसके अनुसार प्रदर्श–1 में खसरा संख्या 232 व 243 की 25 बीघा 7 बिस्वा भूमि तुला वल्द गणेशा कुम्हार के नाम दर्ज है। परन्तु मामले में लिप्त भूमि वर्तमान खसरा संख्या 79 रकबा 27 बीघा प्रदर्श पी–2 में दर्ज है, क्या उक्त भूमि वहीं है जो कि प्रदर्श–1 में दशाई गई है। इस बाबत वादी ने न्यायालय के समक्ष खसरा मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है तथा इसके अतिरिक्त नक्शा ट्रेस भी पेश नहीं किया है। जिससे कि बंदोबस्त से पूर्व व पश्चात के खसरा नम्बरान व रकबे की स्थिति का आंकलन हो सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय साक्ष्य का मोहताज है तथा बिना साक्ष्य के न्यायालय द्वारा दिया गया अभिमत विधायिका की भावना के विपरीत माना जायेगा। यहां यह निष्कर्षित किया जाना समीचीन है कि पूर्व में भूमि कच्चे बीघों में दर्ज होती थी तथा यदि 25 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि के पक्के बीघे का निर्धारित किया जाता है तो लगभग 15 बीघे ही बनते है। जबकि वादी ने वाद पत्र में 27 बीघा भूमि के बाबत अनुतोष चाहा है। पत्रावली में उपलब्ध वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य रामचन्द्र साक्षी ने स्वयं स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काश्त करते है तथा कहा कि मेरे देखने में आज तक प्रभु, मायाराम व ओमप्रकाश ने इस भूमि को कभी काश्त नहीं किया। इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य डीडब्ल्यू–5 जो कि प्रश्नगत रकबे के पडौसी काश्तकार है, उसने कथन किया वादग्रस्त 27 बीघा बजंड भूमि को भगवानाराम ने नोतोड कर बनाई हुई है। इसके अतिरिक्त तुलाराम की भूमि करनपुरा की रोही में स्थित है, जो कि उसके पुत्रों के नाम से दर्ज है। इसके अतिरिक्त ईएक्स डी–16 नकल ढाल–बांछ माली जिसमें भगवाना वल्द तुला कृषक का नाम दर्ज है। जिसके अनुसार रकबे का क्षेत्रफल 42 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है, जिसके पक्के बीघे करीब 26 बीघे कायम होते है जो कि मूल वाद की आराजियात के लगभग बनते है।

इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्या भूमि तुलाराम की होना प्रमाणित नहीं होता है। साराशंतः तुलाराम के द्वारा धारित भूमि में वादी को विरासतन कोई भूमि प्राप्त होना साबित नहीं होता है। इस प्रकार जब वादी का रकबे में कोई हक व हिस्सा प्रमाणित नही है तो वह प्रश्नगत आराजी के कोई खाता व लगान कायम कराने का अधिकारी नहीं है।

8. मामले में दोनों पक्ष इस तथ्य को स्वीकार करते है कि तुलाराम की सम्वत 2000 के आस–पास मृत्यु हुई है व वर्ष 2006 में भगवानाराम का अलग होने का कथन डीडब्ल्यू–1 ने अपनी साक्ष्य में की है। प्रश्नगत रकबे को वर्ष 2008 में प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य में नोतोड होना कथित किया है, इस बाबत डीडब्ल्यू–5 ने अपने साक्ष्य में इस तथ्य को प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त ईएक्सडी–16 के अनुसार 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि भगवाना वल्द तुला के नाम दर्ज है। इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा जहां पर प्रत्यर्थीगण के पक्ष में अपना निर्णय दिनांक 29–11–2000 पारित किया है। वहीं राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपना निर्णय दिनांक 22–10–2003 अपीलार्थी के विरूद्ध पारित किया है। यद्यपि दोनों न्यायालयों द्वारा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का विवेचन किया गया है, परन्तु विवादित आराजी के संबंध में स्पष्ट रूप से किसी भी न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जासका है कि वर्तमान रकबा पूर्व के किन खसरा नम्बरान के रकबे से बना है। भगवाना पुत्र तुला से संबंधित खसरा संख्या 79 रकबा 27 बीघा भूमि का उसे कभी किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटन किया गया हो, इस प्रकार का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवाना पुत्र तुला स्वयं के द्वारा विवादित आराजी को कभी क्रय किया गया हो या उसकी स्वअर्जित भूमि हो, इस प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

9. इस प्रकार तुलाराम पुत्र गणेश के शेष वारिसान के द्वारा भी यह सिद्ध नहीं किया गया कि वर्तमान खसरा संख्या 79 का रकबा 27 बीघा उसके पिता के नाम के पुराने खसरा संख्या 232 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा और खसरा संख्या 243 के 11 बीघा 17 बिस्वा से ही बने हो।

यह स्पष्ट रूप से सिद्ध प्रमाणित नहीं हो सका है। संबंधित राजस्व कार्मिकों द्वारा या बंदोबस्त विभाग द्वारा इस विवादित रकबे के संबंध में तत्समय जो मिलान खसरा और मिलान क्षेत्रफल तैयार किया गया हो, उनके आधार पर पूर्ण मिलान और विश्लेषण करने के उपरान्त ही इस विवादित भूमि के विधिपूर्ण अधिकारों का निर्धारण सम्भव हो सकेगा। इस स्थिति में मामले में राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2002 का समर्थन नहीं किया जा सकता। तदनुसार मामले में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। सारांशतः हस्तगत अपील में विधि का उपचार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2002 को निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भादरा को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि न्यायालय उपरोक्त प्रेक्षण को ध्यान में रखते हुए उभयपक्ष को समुचित रूप से साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(विनीता श्रीवास्तव)
सदस्य